न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 12/2018

अपीलांट

ग्राम तंवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही के ग्रामवासी नागरिक–

1. पन्नाराम पुत्र नरसाजी कलबी, आयु 40 वर्ष, जाति कलबी, निवासी तवरी तहसील व जिला सिरोही।
2. प्रवीण कुमार पुत्र करणराजी आयु 37 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी चडुआल, हाल वार्ड पंच वार्ड संख्या 10 ग्राम पंचायत तवरी तहसील व जिला सिरोही।
3. शांतिलाल पुत्र धनाजी पुरोहित, आयु 40 वर्ष, जाति पुरोहित, निवासी चडुआल (ग्राम पंचायत तवरी) तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सिरोही तहसील व जिला सिरोही
2. ग्राम पंचायत तंवरी जरिये श्री सरपंच ग्राम पंचायत तंवरी तहसील व जिला सिरोही।
3. सचिव ग्राम पंचायत तवरी तहसील व जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री दिनेश कुमार सुराणा अपीलांट की ओर से।
विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र पुरी रेस्पोडेन्ट्स की ओर से
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः–09.09.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आवंटन आदेश क्रमांक/प.12/(3)(3)राज/2017/3655–59 दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

आदेश द्वारा गोचर भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत तंवरी को आवासीय प्रयोजनार्थ गलत रूप से किया है। ग्राम तंवरी की महत्वपूर्ण गोचर भूमि का आवंटन आवासीय प्रयोजनार्थ किया गया है। जिससे ग्रामवासियो में रोष है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के पास में पर्याप्त आबादी भूमि उपलब्ध है। जिसका उपयोग अभी तक ग्राम पंचायत ने नहीं किया है। जिससे उक्त भूमि का आवंटन आबादी हेतु किया जाना न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये किया गया गोचर भूमि का आवंटन किसी भी रूप से जनहित में नहीं है। अपीलांटगण ने जनहित में उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तंथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण का उक्त आदेश से किस प्रकार से व्यक्तिगत हित प्रभावित होता है, ऐसा कोई तथ्य अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश से किसी प्रकार से कोई हक प्रभावित होना साबित नहीं है। जिससे अपीलांटगण को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश द्वारा ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर)का ग्राम पंचायत तवरी के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया है। एवं अपीलांटगण ग्राम तंवरी के निवासी है। अपीलांटगण ने उक्त अपील जनहित में प्रस्तुत किया जाना अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। अब जैर अपील आदेश के जरिये किया गया आवंटन किस प्रकार से जनहित को प्रभावित करता है ? उक्त बिन्दु का निस्तारण अपील के अंतिम निर्णय में किया जाना संभव है। जिससे अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार की जाकर अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वकील अपीलांट ने आवेदन अन्तर्गत धारा 5 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश द्वारा ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर)का ग्राम पंचायत तवरी के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया। जिसकी जानकारी अपीलांटगण को पूर्व में नही थी। अपीलांटगण को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम ग्रमा पंचायत तंवरी द्वारा दैनिम अखबार राजस्थान पत्रिका में भूखंड के नीलामी इश्तीहार के प्रकाशन से हुई। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.08.2018 को हुआ। इससे पूर्व अपीलांटगण को उक्त आवंटन के संबध में कोई जानकारी नहीं है। अपीलांटगण ने किसी प्रकार की कोई बदनियती या लापरवाही उक्त अपील प्रस्तुत करने में नहीं की है। अत अपील प्रस्तुत करने में दिनांक 07.09.2017 से दिनांक 29.08.2018 तक हुई देरी को न्याहित में कंडोन किया जाना आवश्यक है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कंडोन किये जाने के आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश विधिवत कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। अब जहां तक अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रश्न है तो सर्वप्रथम अपीलांटगण का जैर अपील आदेश से किसी प्रकार से कोई हक प्रभावित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ग्राम तंवरी के निवासी है, जिससे उन्हे ग्राम तंवरी की आराजी के संबध में होने आवंटन की जानकारी न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांटगण को जैर अपील आदेश द्वारा हुए आवंटन की जानकारी वक्त आदेश से थी, किन्तु अपीलांटगण का उक्त आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं था। किन्तु अब केवल मात्र रेस्पोडेन्टगण को परेशान करने की मंशा से उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो कि मयाद बाहर है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त देरी के संबध में कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं किया है। जिससे अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य नहीं है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 07.09.2017 को पारित किया गया है। जिसमें अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे। जिससे अपीलांटगण को उक्त आदेश की जानकारी नही होना स्वभाविक है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र में "ग्राम पंचायत तंवरी द्वारा दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका में भूखंड के नीलामी इश्तीहार का प्रकाशन दिनांक 29.08.2019 को हुआ, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
माऊ कैम्प-सिरोही

अपीलांटगण को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी हुई" होने का अंकन किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 29.08.2019 को अखबार प्रकाशन से हुई। जिसके पश्चात अपीलांटगण ने उक्त आदेश की नकल एवं अन्य दस्तावेजो की नकल अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर दिनांक 04.09.2018 को उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त समस्त तथ्यो से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांटगण को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 29.08.2018 को जरिये अखबार प्रकाशन से हुई। जिसके पश्चात नकल प्राप्त कर अपीलांटगण द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.09.2018 को उक्त प्रस्तुत की गई। अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई, वह जानबूझकर या उसमे किसी प्रकार की लापरवाही प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने विनिर्णयनो में यह प्रतिपादित किया है कि "जहां प्रकरण में गुणवागुण पर सारवान बिन्दु निहित हो, तो ऐसे प्रकरणो में तकनीकी बिन्दुओ पर निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं है।" जिससे अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कंडोन किया जाना उचित समझते है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी म्याद शुमार की जाती है।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट में वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम तंवरी में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार सिरोही द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्ताव मंगवाये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश द्वारा ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर)का ग्राम पंचायत तवरी के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी एव नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.05.2017 को बनाई गई मौका फर्द में यह स्पष्ट अंकन है कि खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि पर पत्थर पडे हुए है। एवं आंशिक भाग पर बाढ होना दर्शाया है। उक्त प्रस्तावित भूमि के उपर से होकर 11K.V. की High Tension विधुत लाईन गुजर रही है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नंबर 460 की भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु किया जाना उचित नहीं था। वादग्रस्त खसरा नंबर 460 की भूमि पर जहां से विधुत लाईन गुजर रही है, उक्त भूमि का प्रस्तावित आबादी भूमि के क्षेत्रफल से कम नहीं किया गया है। भूमि आवंटन नक्शे में उक्त भूमि के उपर से विधुत लाईन गुजरने वाला क्षेत्रफल को आवंटित रकबे में से कम नहीं किया गया। साथ ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

उक्त खसरा नंबर 1168 व 1619 की भूमि के आशिंक भाग पत्थर पडे होना मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, ऐसी स्थिति में अतिक्रमित भूमि का आवंटन आबादी भूमि के रूप में किया जाना अवैधानिक है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1168 एवं 460 की भूमि के मध्य रास्ता है जो सिरोही से जसवंतपुरा जाने वाली डामर सडक है। उक्त डामर सडक मध्य बिन्दु से 50 फीट की भूमि दोनो तरफ सडक सीमा की भूमि है। जिससे उक्त सडक सीमा की भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया जाना अवैधानिक है। मौके पर जो डामर सडक है, उसके मध्य बिन्दु से दोनो तरफ 50 फीट की दूरी उपलब्ध नही है। जबकि खसरा नंबर 460 व 1168 की आवंटित भूमि के रकबे में से सडक सीमा की भूमि को कम कर भूमि आवंटित की जानी चाहिये थी। प्रस्तावित भूमि के नक्शे में सडक सीमा हेतु 0.08 हैक्टर भूमि समर्पण सडक हेतु किया जाना आवश्यक है। किन्तु जैर अपील आदेश में सडक सीमा हेतु प्रस्तावित आबादी भूमि में से समपर्ण नहीं किया गया, एवं समर्पित होने वाली भूमि को आबादी भूमि में तरमीम कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम तंवरी में वर्तमान में आबादी विस्तार हेतु काफी आबादी की भूमि वितरण हेतु शेष है। ग्राम तंवरी में खसरा संख्या 1313 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1630 रकबा 1.62 हैक्टेयर, 1633 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 1823/1634 रकबा 1.61 हैक्टेयर, 1902/455 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 1912/155 की रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि कुल 6.52 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु आबादी भूमि के रूप में मौके पर ग्राम पंचायत तंवरी मे उपलब्ध है। उक्त खसरान की भूमि का ग्राम पंचायत ने अभी तक भूखंडो का खसरा नहीं बनाया है, एवं नही उक्त भूमि की नीलामी या आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। जबकि ग्राम पंचायत में आबादी हेतु वर्तमान में काफी आबादी भूमि उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त उपलब्ध आबादी भूमि को ग्राम पंचायत तंवरी में आबादी विस्तार हेतु आवंटित न कर जैर अपील आदेश के जरिये ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर) भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु किया गया। ग्राम पंचायत तवरी में आबादी हेतु आबादी भूमि की कोई कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना, कानूनी प्रावधानो के विरूद्ध जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम तंवरी में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार सिरोही द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

प्रस्ताव मंगवाये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश द्वारा ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर)का ग्राम पंचायत तवरी के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने के पश्चात तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु गौचर भूमि के अलावा अन्य भूमि उक्त गांव में आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होना अंकन किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम तवरी में आबादी विस्तार हेतु कोई भूमि उपलब्ध नही है। जिससे अपीलांटगण द्वारा उक्त अपील में इस संबध में उठाया गया तथ्य केवल मौखिक कथन है। इस संबध में कोई दस्तावेज या मौका रिपोर्ट अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए, आवंटन नियमो एवं कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जनहित में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम तंवरी में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सिरोही से वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार सिरोही द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्ताव मंगवाये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश द्वारा ग्राम तवरी के खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1619 रकबा 1.60 हैक्टेयर कुल 3.68 हैक्टर भूमि (गौचर)का ग्राम पंचायत तवरी के आबादी विस्तार हेतु आवंटन आदेश पारित किया। वकील अपीलांट ने उक्त अपील में जैर अपील आदेश के जरिये हुए आवंटन आदेश को खारिज करने हेतु प्रथम आधार यह लिया है कि खसरा नंबर 1168 व 1619 की भूमि के आशिंक भाग पत्थर पडे है जिससे यह स्पष्ट है उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, खसरा नंबर 460 रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि पर पत्थर पडे हुए है। एवं आंशिक भाग पर बाढ होना दर्शाया है। उक्त प्रस्तावित भूमि के उपर से होकर 11K.V. की High Tension विधुत लाईन गुजर रही है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नंबर 460 की भूमि का आवंटन आबादी विस्तार हेतु किया जाना उचित नहीं था। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी तंवरी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि "मौके के अनुसार खसरा नंबर 460 रकबा 4.29 हैक्टर किस्म गै.मुमकिन गौचर के प्रस्तावित भूमि (आबादी विस्तार हेतु) 1.60 हैक्टेयर भूमि पर मौके के अनुसार पत्थर पडे हुए है, तथा आंशिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

भाग पर बाड की हुई है। उक्त खसरा नंबर 460 के प्रस्तावित भूमि के उपर से 11K.V. की विधुत लाईने गुजर रही है। खसरा नंबर 1168 रकबा 0.84 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन गौचर तथा खसरा नंबर 1619 रकबा 35.52 हैक्टर किस्म गौचर मे से प्रस्तावित भूमि (आबादी विस्तार हेतु) के आंशिक भाग पर पत्थर पडे हुए है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का आशिंक हिस्से पर अतिक्रमण किया हुआ है। एवं आवंटन नियमो के अनुसार किसी भी विवादित आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है। साथ ही खसरा नंबर 460 के प्रस्तावित भूमि के उपर से 11K.V. की विधुत लाईने गुजरने का अंकन है। जिससे उक्त खसरा नंबर की भूमि का आवंटन जनहित में किया जाना उचित नहीं है।

वकील अपीलांट ने दूसरा महत्पूर्ण बिन्दु यह लिया है कि गोचर भूमि का आबादी में आवंटन किसी विशेष परिस्थितयों में ही किया जा सकता है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिर्णयनो की पालना में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार "चारागाह भूमि की आवश्यकता होने पर यदि अनाधिवासित सरकारी भूमि उस ग्राम या उसी ग्राम पंचायत के समीपस्थ ग्राम में उपलब्ध नहीं है एवं भूमि की आत्यंतिक आश्यकता है एवं वैकल्पित साधन का अभाव सिद्ध हो गया है तो नजदीकी ग्राम पंचायत से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। का प्रावधान है। उक्त परिपत्रो से यह स्पष्ट है कि गोचर भूमि का आंवटन केवल भूमि की आत्यंतिक आवश्यकता एवं भूमि का अभाव सिद्ध होने पर करने का प्रावधान है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विनिर्णयनो में उक्त किस्म की भूमि को आवंटन एवं नियमन हेतु प्रतिबंधित माना है। अब उक्त प्रकरण में मूल बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये किये गये खसरो का आवंटन माननीय उच्चतम न्यायालय पारित विनिर्णयनो एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो की कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नही ? इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सिरोही द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को भेजे जाने वाली रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 (1) के अनुसार ग्राम तंवरी की जनसंख्या 2498 है। इस जनसंख्या की तुलना में वांछित आबादी भूमि रकबा 28.90 हैक्टेयर होता है। जबकि वर्तमान में ग्राम तंवरी के पास 32.4241 हैक्टेयर आबादी भूमि उपलब्ध है। साथ ही जिला कलक्टर सिरोही के पत्र क्रमांक/232 दिनांक 27.01.2017 की पालना में उपखंड अधिकारी के पत्रांक/2054. दिनांक 21.02.2017 द्वारा प्रस्तुत जवाब में गौचर भूमि का आबादी में आवंटन करने का कोई अत्यावश्यक जनउपयोगी कारण भी नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के जरिये किये आवंटित खसरो के समीपस्थ ग्राम तंवरी में आबादी के नजदीक खसरा नंबर 1870/1141 किस्म पडत रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नंबर 463 रकबा 2.62 हैक्टर किस्म पडत, खसरा नंबर 464 रकबा 1.46 हैक्टर किस्म पडत, बिलानाम राजकीय भूमि स्थित है। किन्तु उक्त राजकीय बिलानाम भूमि होते हुए भी बिना कोई अत्यावश्यक जनउपयोगी कारण बताये जैर अपील आदेश के जरिये गौचर भूमि का आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
कैम्प-सिरोही

किया है। जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिर्णयनो एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो की मंशा के पूर्णतया विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओ के संबध में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यो को नजरअंदाज करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिर्णयनो एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो की मंशा के पूर्णतया विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आवंटन आदेश क्रमांक/प. 12/(3)(3)राज/2017/3655–59 दिनांक 07.09.2017 अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.19. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही